

वन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण

वनसे संबंधित अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए वन विभाग, गुना से संपर्क करें।

वन संरक्षक, सामान्य; वन विभाग,

जिला— गुना, दूरभाष— (07542)259650

वन विभाग, जिला— गुना

क्र	योजना/कार्यक्रम का नाम	पात्र हितग्राही	दिया जाने वाला लाभ	किससे संपर्क करें
1	वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति	शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रमाणित वन्य प्राणियों द्वारा घायल/मृत व्यक्ति	मृत्यु हो जाने पर ₹ 1.50 लाख तथा इलाज पर हुआ व्यय, घायल होने पर अधिकतम ₹ 30000/-, स्थायी रूप से अपंग होने पर ₹ 100,000/- व इलाज पर हुआ व्यय, घायल होने पर तत्काल मदद ₹ 500/- एवं मृत्यु उपरांत तत्काल ₹1000/- परिजनों को दिया जाना है	समीपस्थ वन अधिकारी
2	वन्य प्राणियों द्वारा निजी मवेशी को मारे जाने पर सहायता	हानि की सूचना 48घंटे के अंदर वन अधिकारी को दी गयी हो, मृत मवेशी/पशु को यथास्थान व यथावत् रखा गया हो, मवेशी/पशु के मृत होने व जंगली जानवरों द्वारा मारे जाने का सत्यापन वन अधिकारी द्वारा किया गया हो।	पशु मालिकों को अधिकतम प्रति मवेशी की मदद दी जाती है:- 1) गाय/भैंस/बैल/घोड़ा/ऊँट के लिए— ₹ 10,000/- तथा इनके बच्चे की हानि पर ₹ 5000/- 2) गधे के लिए ₹ 5000/-, 3) भेड़/बकरी के लिए ₹ 1000/- 4) सूअर के लिए ₹ 1500/- तथा गधे/भेड़/बकरी/सूअर के बच्चे की हानि के लिए ₹ 250/-	समीपस्थ वन अधिकारी
3	तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बीमा योजना	18–60 वर्ष के सभी तेंदूपत्ता संग्राहक	नमांकित व्यक्ति को ₹3500/- दिये जाते हैं। किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर ₹ 25000/- जबकि पूर्ण विकलांग होने पर ₹25000/- तथा आंशिक रूप से विकलांग होने पर ₹12500/- की राशि प्रदान की जाती है।	वनमंडलाधिकारी